



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता-700001

संदर्भ सं 29(2)/स्था/2015/पार्ट/

दिनांक: 15-04-2025

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 29(2)/स्था./2015/भाग/4115 दिनांक 12-03-2025 के साथ पठित कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21011/10/2025 पीपी(ए-11) दिनांक 09 अप्रैल, 2025 के अनुसार, यह सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 (अर्थात 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) के लिए टी बोर्ड में सभी ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' ('एमटीएस' सहित) और तकनीकी पदों के लिए एपीएआर (जिसे पहले एसीआर के रूप में जाना जाता था) को संशोधित निर्धारित कार्यक्रम में प्रस्तुत करना होगा।

एपीएआर प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तदनुसार, सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे अपेक्षित वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट भरने के लिए उक्त प्रारूप को डाउनलोड करें और इसे प्राथमिकता के आधार पर अपने संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों को प्रस्तुत करें। रिपोर्ट करने के बाद, एपीएआर को समीक्षा/स्वीकृति के लिए अगले वरिष्ठ अधिकारी को भेजा जा सकता है, जैसा भी मामला हो, और पूरा होने के बाद, एपीएआर को रिकॉर्ड के लिए "बंद लिफाफे" में सचिव, टी बोर्ड को भेजा जा सकता है।

क्र.सं	गतिविधि	एपीएआर की तैयारी/पूरा करने की समय सारणी
1.	रिपोर्ट किए गए अधिकारी/कर्मचारी द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी को स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करना (जहां लागू हो)	15 मई, 2025
2.	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समीक्षा अधिकारी को वार्षिक रिपोर्ट (एपीएआर) प्रस्तुत करना	30 जून, 2025
3.	एपीएआर को समीक्षा अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा तथा स्वीकृति प्राधिकारी को भेजा जाएगा (जहां भी प्रावधान हो)	31 जुलाई, 2025
4.	स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन (जहां भी प्रावधान हो)	31 अगस्त, 2025


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्र)

वितरण:

1.	मुख्यालय में सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	इस अनुरोध सहित कि परिपत्र की विषय-वस्तु को उनके अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ज्ञान में लाया जाए।
2.	कार्यपालक निदेशक, गुवाहाटी व कनूर	
3.	वि.अ.(उ.प.भा)	
4.	फै.स.अ., स्लिगुड़ी व पालमपूर	
5.	बोर्ड के सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय	
6.	आईटी कक्ष	वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7.	उपाध्यक्ष/वि.स.एवं मु.ले.अ/निचावि/ सचिव के निजी सहायक	सूचना हेतु
8.	टीबीइए	सूचना हेतु
9.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियाँ सहित